न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–100/2021

प्रार्थीः–

सुरेन्द्रसिंह पुत्र तगसिंह जाति रावणा राजपूत नि वासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1. अचलसिंह पुत्र तगसिंह
2. अर्जुनसिह पुत्र नारायणसिंह
3. उकीदेवी पत्नी विरेन्द्रसिंह
4. गणपतसिंह पुत्र तगसिंह
5. गुमानसिह पुत्र तगसिंह
6. जगसिंह पुत्र विरदसिंह
7. तनसिंह पुत्र विरदसिंह
8. नरपतसिंह पुत्र नारायणसिंह
9. भीमसिह पुत्र तगसिंह
10. मगसिंह पुत्र विरदसिंह
11. मदनसिंह पुत्र तगसिंह
12. मेथीदेवी पत्नी नारायणसिंह
13. मीरोदेवी पत्नी नारायणसिह
14. वख्तारसिंह पुत्र धूडसिंह
15. शारदा कंवर पुत्री खेतसिंह
16. हडमतसिंह पुत्र नारायणसिंह
17. हवियादेवी पत्नी खेतसिह

    सभी जातियान राजपूत निवासीगण मोकलसर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

18. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :–30.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य [illegible] है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी का खेत सरहद मौजा [illegible] खसरा संख्या 1101 व 1078 रकबा 04.8401 व [illegible] है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम भंवराराम पुत्र उका दर्ज है। प्रार्थी [illegible] पिता के देहान्त के बाद [illegible] म्यूटेशन दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की गलती से सुरेन्द्रसिंह पुत्र तगसिह के स्थान पर सुरेशसिंह पुत्र तगसिह राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया। प्रार्थी के सभी सरकारी व अर्द्व सरकारी सभी दस्तावेज यथा परिचय पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, वोटर कार्ड, पेनकार्ड, बैंक खाता पासबुक व ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र इत्यादि में सुरेन्द्रसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

दर्ज है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में सुरेश नाम दर्ज होने से ..करी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं सुरेश व सुरेन्द्रसिंह नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थी संख्या 4 द्वारा इकबाली जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाही गई इस्तदुआ बाबत सहमति जाहिर की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात के आधार पर सुरेश पुत्र तगसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह पुत्र तगसिह किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा परिचय पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, वोटर कार्ड, पेनकार्ड, बैंक खाता पासबुक व ड्राइविंग अनुज्ञा पत्र दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम सुरेन्दसिंह पुत्र तगसिह अंकित है । विप्रार्थी संख्या 4 ने भी अपने इकबाली जबाव मे प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष बावत सहमति जाहिर की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा मौजा मोकलसर पटवार मण्डल मोकलसर खसरा संख्या 1101व 1078 रकबा 04.8401 व 04.4839 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "सुरेशसिंह पुत्र तगसिंह" के स्थान पर " सुरेन्द्रसिह पुत्र तगसिंह " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:20 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना